संख्या-511/2023/3193/41-2023-16(सा0)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई, 2023**

विषयः- रानीपुर टाईगर रिजर्व जनपद चित्रकूट के निकट पर्यटन विकास हेतु भूमि पुनर्ग्रहण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-7299/6-1-1(1289)/2022-23 दिनांक 05 जून, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रानीपुर टाईगर रिजर्व जनपद चित्रकूट के निकट पर्यटन विकास हेतु भूमि पुनर्ग्रहण के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उत्तर प्रदेश में लगभग 16620 वर्ग कि0मी0 के वन क्षेत्र के साथ अनेक अति सुन्दर परिदृश्य, वन-विस्तार, बहती नदियों और लुभावने सुन्दर झरनों और बड़ी संख्या में लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों की उपलब्धता है। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाईगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाईगर रिजर्व से महज 150 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। इस रिजर्व में बाघ, तेदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप पाये जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाईगर रिजर्व है। रानीपुर टाईगर रिजर्व अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाईगर का हिस्सा हो गया है। इस योजना में भारत सरकार तथा राज्य सरकार से बराबर की धनराशि प्राप्त होगी।

3- जनपद चित्रकूट तहसील मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत रानीपुर टाईगर रिजर्व के निकट पर्यटन विकास के लिए लैण्ड बैंक हेतु रिक्त भूमि का विवरण जिलाधिकारी, चित्रकूट से मांगा गया था तद्क्रम में जिलाधिकारी, चित्रकूट की आख्या दिनांक 01.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत रानीपुर टाईगर रिजर्व मारकुण्डी निरीक्षण गृह व उसके आस-पास के स्थानों पर पर्यटन विकास कार्यों के लिए लैण्ड बैंक हेतु चिन्हित ग्राम समाज की भूमि 9 किता गाटा संख्या का कुल रकबा-49.364 हे0 उपयुक्त एवं आपत्ति रहित पायी गयी है। ग्राम-निहीं, गोबरहाई, इटवां डूडैला, टिकरिया जमुनहाई, बम्हिया में ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

ग्राम-निहीं, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में गाटा संख्या-191 में रकबा 1.286 हे0।

ग्राम-गोबरहाई, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के गाटा संख्या- 95/3 में रकबा 1.837 हे0, गाटा संख्या-409/2 में रकबा 0.959 हे0।

ग्राम-इटवाडुडैला, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के गाटा संख्या-859 में रकबा 1.628 हे0, गाटा संख्या-884 मि0 में रकबा 1.855 हे0, गाटा संख्या-1045 में रकबा 0.412 हे0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

ग्राम-टिकरिया जमुनहाई, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में गाटा संख्या- 31/2 में रकबा 3.376 हे0।

ग्राम-बम्हिया, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के गाटा संख्या-391/2 में रकबा 1.033 हे0, गाटा संख्या-433/4 में रकबा 36.978 हे0।

उक्त स्थलों पर पर्यटन विकास सम्बन्धी गतिविधियों के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों के आर्थिक-सामाजिक जीवन-स्तर का भी उन्नयन होगा।

4- उपरोक्तानुसार तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के क्षेत्रान्तर्गत रानीपुर टाईगर रिजर्व मारकुण्डी निरीक्षण गृह व उसके आस-पास स्थानों पर पर्यटन विकास के कार्यो के लिए लैण्ड बैंक हेतु चिन्हाकिंत भूमि का कुल रकबा-49.364 हे0 है। उक्त भूमि खतौनी में ग्राम समाज की बंजर श्रेणी में दर्ज है। यह भूमि पर्यटन के दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है जो रानीपुर टाईगर रिजर्व मारकुण्डी निरीक्षण गृह के निकट स्थित है। उक्त भूमि को पर्यटन विकास परियोजना के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण कराया जाना है।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रानीपुर टाईगर रिजर्व जनपद चित्रकूट के निकट पर्यटन विकास हेतु भूमि पुनर्ग्रहण के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) तहसील मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत रानीपुर टाईगर रिजर्व मारकुण्डी निरीक्षण गृह व उसके आस-पास के स्थानों पर पर्यटन विकास कार्यों के लिए लैण्ड बैंक हेतु चिन्हित ग्राम समाज की भूमि का कुल रकबा-49.364 हे0 है। ग्राम-निहीं, गोबरहाई, इटवां डूडैला, टिकरिया जमुनहाई, बम्हिया में ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध है।

ग्राम-निहीं, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में गाटा संख्या-191 में रकबा 1.286 हे0।

ग्राम-गोबरहाई, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के गाटा संख्या- 95/3 में रकबा 1.837 हे0, गाटा संख्या-409/2 में रकबा 0.959 हे0।

ग्राम-इटवाडुडैला, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के गाटा संख्या-859 में रकबा 1.628 हे0, गाटा संख्या-884 मि0 में रकबा 1.855 हे0, गाटा संख्या-1045 में रकबा 0.412 हे0।

ग्राम-टिकरिया जमुनहाई, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट में गाटा संख्या- 31/2 में रकबा 3.376 हे0।

ग्राम-बम्हिया, तहसील-मानिकपुर, जनपद चित्रकूट के गाटा संख्या-391/2 में रकबा 1.033 हे0, गाटा संख्या-433/4 में रकबा 36.978 हे0 को पर्यटन विकास परियोजना के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण किया जायेगा।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

6- प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

(1) ग्राम पंचायतों/अन्य स्थानीय निकायों के प्रबंधन में निहित सामान्य श्रेणी (ऊसर, बंजर, नवीन परती इत्यादि) की भूमियों का सरकारी प्रयोजन हेतु उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2020 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग)(एक) एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 में विहित प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार प्रशासनिक विभागों के निवर्तन पर दिये जाने का प्राविधान है।

(2) शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार भूमि का पुनर्ग्रहण मूल्य देय होगा। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(3) शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 के प्रस्तर 4(1)(ड़) के अनुसार ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमि का पुनग्रर्हण जिसके (विभाग) लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ही स्पष्ट की जायेगी कि वह राज्य सरकार का सेवारत विभाग या वाणिज्यिक विभाग है।

(4) शासनादेश सं0-744/एक-1-2010-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(छ) के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को भूमि सशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी।

(5) वर्तमान में सरकारी प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायतों/अन्य स्थानीय निकायों के प्रबंधन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अधिकारिता शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06-07-2020 द्वारा सम्बन्धित कलेक्टर/मण्डलायुक्त (यथास्थिति) में प्रतिनिधानित कर दिया गया है।

शासनादेश सं0-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(ण) में यह प्राविधान है कि सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग की संस्तुति पर ही जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जायेगा

(6) यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 किमी0 एवं इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत अवस्थित है, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति की आवश्यकता होगी।

(7) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(8) प्रश्नगत क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बन्धित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथावश्यकता पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण स्त्रोतों से संबंधित ईकाइयों की स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का ऑनलाइन अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से किए जाने के दृष्टिगत उक्त इकाईयों में उचित स्थलों पर पी०टी०जेड० रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाए।

(11) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्ध नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीकरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) प्रश्नगत क्षेत्र के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के लिए समय-समय पर जो अन्य शर्ते/प्राविधान निर्धारित किया गया हो, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल।
7- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
8- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।